न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा
2. प्रकरण संख्या : 183/2020
3. उनवान : सरकार जरिये श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड, प्रवर्तन अधिकारी

बनाम

1. श्री नारायण पुत्र श्री चन्देश्वर निवासी साहनी, निवासी ग्राम पशनपुर थाना तिरीछोता जिला वैशाली बिहार
2. श्री मनीचन्द पुत्र श्री परमेश्वर साहनी गांव पोस्ट जाव जिला वैशाली बिहार हाल निवासी ग्यारसी लाल का मकान, रंगोली गार्डन के सामने, महाराणा प्रताप मार्ग, जयपुर।

4. निर्णय दिनांक : 31.05.2024
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी, जयपुर श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 15–09–2013 को मय जाब्ता दल के पुलिस थाना करणी विहार जयपुर शहर की ग्यारसी लाल के प्लाट में रंगोली गार्डन के सामने महाराणा प्रताप मार्ग जयपुर में घरेलू गैस सिलेण्डरों से छोटे नोन आईएसआई सिलेण्डरों में गैस भरकर बिक्री की जा रही की सूचना पर पहुंचे। प्लॉट में घुसते ही सामने कमरे (कोटडी) के अन्दर अप्रार्थीगण द्वारा घरेलू सिलेण्डर में से छोटे नोन आईएसआई सिलेण्डर में बांसुरी (गैस स्थानान्तरण यंत्र) के द्वारा गैस भरी जा रही थी। अप्रार्थी संख्या 1 ने बताया कि वे दोनों मिलकर घरेलू सिलेण्डर खरीद कर छोटे नोन आईएसआई सिलेण्डर में गैस भरकर बिक्री करने का कार्य करते हैं। कमरे की तलाशी के दौरान 4 घरेलू गैस सिलेण्डर, 13 छोटे नोन आईएसआई सिलेण्डर(3 भरे व 10 खाली) मय एलपीजी 25.700 किग्रा., 4 पीतल की बांसुरी (गैस निकालने का यंत्र), 4 नोन आईएसआई रेग्यूलेटर, 4 तराजू, 3 बांट(5 किग्रा. का 1, 2 किग्रा. का एक व 500 ग्राम का एक), दो पैचकस व एक पाना को कोई वैध दस्तावेज व संतोषप्रद जवाब नहीं देने की स्थिति में जब्त कर फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा, प्रथम सूचना रिपोर्ट आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अप्रार्थीगण की ओर से आदिनांक तक कोई जवाब पेश नहीं किया गया। तत्पश्चात प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान भी बार–बार आवाज लगवाई गयी। इस पर भी अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा विभागीय प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त माल को राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 31.05.2024 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुचते है कि दिनांक 15–09–2013 को जब्त घरेलू सिलेण्डरो से छोटे सिलेण्डरो मे गैस रिफिलिंग का कार्य किया जा रहा था। अप्रार्थीगण मौके पर घरेलू सिलेण्डर में से छोटे नोन आईएसआई सिलेण्डर मे बांसुरी (गैस स्थानान्तरण यंत्र) के द्वारा गैस भरते हुए पाये गये। अप्रार्थीगण ने दोनो के मिलकर घरेलू सिलेण्डर खरीद कर छोटे नोन आईएसआई सिलेण्डर मे गैस भरकर बिक्री करने की स्वीकारोक्ति की है। जब्तशुदा सामग्री के लिये अप्रार्थीगण द्वारा आज तक क्लेम नहीं किया जाना यह सिद्ध करता है कि अप्रार्थीगण आगे भी इसमें कोई पक्ष नही रखना चाहते हैं। अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। अप्रार्थीगण ने जब्त सिलेण्डरों व अन्य सामानों से संबधित कोई भी दस्तावेज मौके पर पेश नही किये। मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर पर गैस रिफिलिंग करने का यंत्र लगा हुआ पाया गया, बिना मार्का के छोटे गैस सिलेण्डर भी पाये गये और गैस रिफिलिंग करने से संबधित अन्य सामान भी पाये गये। जिससे अप्रार्थीगण द्वारा घरेलू सिलेण्डरो से छोटे गैस सिलेण्डरों

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

में गैस रिफिलिंग का कार्य किये जाने की पुष्टी होती है। प्रकरण में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी जब्त सामग्री के संबंध में कोई क्लेम नहीं किया गया है। अतः उक्त कृत्य द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है। ऐसी स्थिति में फर्दानुसार प्रार्थी द्वारा जब्त 4 घरेलू गैस सिलेण्डर, 13 छोटे नोन आईएसआई सिलेण्डर(3 भरे व 10 खाली) मय एलपीजी 25.700 किग्रा., 4 पीतल की बांसुरी (गैस निकालने का यंत्र), 4 नोन आईएसआई रेग्यूलेटर, 4 तराजू, 3 बांट(5 किग्रा. का 1, 2 किग्रा. का एक व 500 ग्राम का एक), दो पैचकस व एक पाना को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत अन्तिम निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate-III • JAIPUR •

(राजकुमार कस्वा)
अति. जिला कलक्टर एवं
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (तृतीय)
(तृतीय) जयपुर।